सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-2377/JH/67/2025-RU-IV

Date : 18.06.2025

1 **पुलिस महानिदेशक,**
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
धुर्वा, जिला - रांची, झारखंड 834004
Email Id: dgp@jhpolice.gov.in

2 **पुलिस अधीयक,**
जिला – गुमला
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
समाहरणालय भवन, गुमला,
गुमला, झारखंड 835207
Email Id: sp-gum@nic.in

विषय: मारपीट की शिकायत करने थाने पहुंचे घाघरा प्रखंड के हापामुनि गांव, घाघरा, जिला-गुमला (झारखंड़) के रहने वाले दंपती श्री अमरजीत भगत तथा उनकी पत्नी श्रीमती रानीदेवी की पुलिस द्वारा की तथाकथित पिटाई का दिनांक 25.03.2025 के कुछ हिंदी के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान का मामला (suo motto matter) ।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के द्वारा दिनांक 07.04.2025 को प्रकरण मे किये गए दौरे की रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आवशक कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित है।

अनुरोध किया जाता है कि रिपोर्ट मे उठाये गए बिन्दुओं पर अनुपालन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर इस आयोग को भेजने की व्यवस्था करे ।

Encl: as above

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to:-
(1) o/o Hon'ble Member (Dr. AL)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No- NCST/ATY-2377/JH/67/2025-RU-IV

दिनांक 07 अप्रैल 2025 को झारखंड राज्य के ग्राम हपामुनी, थाना घाघरा, जिला गुमला में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट।

आशा लकड़ा

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
2.	श्री सुभाशीष सोरेन	विधिक सलाहकार
3.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव

दिनांक 25 मार्च 2025 को ग्राम हपामुनी, थाना घाघरा, जिला गुमला के निवासी श्री अमरजीत भगत एवं उनकी पत्नी के साथ घाघरा थाना में मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की घटना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा **स्वतः संज्ञान** लेते हुए, दिनांक 07 अप्रैल 2025 को आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति — अनुसंधान पदाधिकारी श्री पी. के. दास एवं कानूनी सलाहकार श्री शुभाशीष रसिक सोरेन — द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया।

2. श्रीमती रानी देवी (उम्र 25 वर्ष), पति श्री अमरजीत भगत (उम्र 30 वर्ष), निवासी ग्राम हपामुनी, थाना घाघरा, जिला गुमला, ने आयोग की जांच समिति के समक्ष बताया कि उनके ससुर श्री हरीनंदन भगत (सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी) समय-समय पर उनके साथ मारपीट एवं छेड़छाड़ करते हैं। श्री हरीनंदन भगत द्वारा कहा गया कि "यदि घर में रहना है या खेत में खेती करना है तो मेरे साथ सोना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ जो चाहूंगा कर सकता हूँ।"

3. दिनांक 23 मार्च 2025 को प्रातः लगभग 8:30 बजे उन्होंने मारपीट कर रानी देवी को गिरा दिया, उस समय रानी देवी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा हुआ था। गिरने से बच्चा नीचे दब गया, और ऐसी स्थिति में श्री हरीनंदन भगत रानी देवी के ऊपर बैठकर गला दबाकर जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगे। रानी देवी के जोर-जोर से "बचाओ-बचाओ" चिल्लाने पर आस-पास के लोग पहुंचे, तब जाकर उन्होंने उसे छोड़ा।

4. उक्त घटना की जानकारी रानी देवी ने फोन पर अपने पति श्री अमरजीत भगत को दी। तत्पश्चात दोनों प्रातः लगभग 10:30 बजे घाघरा थाना पहुँचे और प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया। परन्तु थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार किया और उन्हें डांटने लगे। श्री अमरजीत भगत ने जब यह बताया कि शर्ट का बटन टूट गया है, तो थाना प्रभारी ने इस बात को लेकर बहस की और उन्हें थाना के अंदर ले जाकर, थाना के बाबू एवं सिंह जमादार द्वारा हाथ एवं तलवों में डंडे से 15–20 बार पीटा गया। साथ ही, श्रीमती रानी देवी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।

5. थाना परिसर में यह भी कहा गया कि "पिता का घर छोड़कर भाग जाओ", जिस पर श्री अमरजीत भगत एवं उनकी पत्नी ने पूछा कि "हम कहाँ जाएँगे?", तब पुलिसकर्मी ने उत्तर दिया कि "झोपड़ी बनाकर रहो या भाग जाओ, लेकिन पिता से हिस्सा मत लो, अन्यथा और मार पड़ेगी।" इस दौरान श्री अमरजीत भगत की माता श्रीमती निरा देवी भी साथ में उपस्थित थीं।

6. श्री अमरजीत भगत के बड़े भाई श्री संतोष भगत एवं उनकी पत्नी श्रीमती सिलवन्ती भगत ने भी आयोग के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ससुर श्री हरीनंदन भगत ने उनके साथ भी कई

बार अनुचित स्पर्श एवं जबरदस्ती का प्रयास किया था, परंतु असफल रहे। विरोध करने पर वर्ष 2008 में उन्हें घर से निकाल दिया गया, तब से वे घर से अलग रहकर भरण-पोषण कर रहे हैं।

7. श्रीमती निरा देवी (प्रथम पत्नी) ने बताया कि श्री हरिनंदन भगत ने दो विवाह किए हैं — पहली पत्नी स्वयं श्रीमती निरा देवी तथा दूसरी पत्नी श्रीमती आशा देवी। उन्होंने यह भी बताया कि जितने भी दस्तावेज श्री हरिनंदन भगत द्वारा बनवाए गए हैं, उनमें नाम प्रथम पत्नी का है जबकि फोटो दूसरी पत्नी श्रीमती आशा देवी का लगाया गया है।

अनुशंसाएँ:

1. थाना प्रभारी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (प्रतिलिपि संलग्न) का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए एवं दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित किया जाए।
2. श्री हरिनंदन भगत के विरुद्ध पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं। अतः आयोग अनुशंसा करता है कि उनकी शिकायत को पंजीबद्ध कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।
3. उपर्युक्त मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट **30 दिनों** के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi